न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 106/2017 दायरा दिनांक : 12.07.2017

उनवान

नाथू लाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्री केशरा, जाति कुम्हार, निवासी बस स्टैण्ड के पास मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– शंकरलाल पुत्र केशरा, जाति कुम्हार, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– देवी लाल पुत्र केशरा, जाति कुम्हार, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

4– श्रीमान उपपंजीयक मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बालमुकुन्द गूर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 7/2017 निर्णय दिनांक 13.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थीगण और अप्रार्थी नम्बर 1 और 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं । कस्बा मांगरोल में आराजी खसरा नम्बर 161 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा 1.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 2964 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नम्बर 2974 रकबा 0.77 हेक्टर कुल 4 किता की 2.54 हेक्टर आराजी स्थित है जो कि प्रार्थी अप्रार्थी नम्बर 1 और 2 के शामलाती खाते में दर्ज है । खसरा नम्बर 2964 रकबा 0.29 हेक्टर आबादी में स्थित है जिसमें प्रार्थी अपने हिस्से के अनुसार काबिज है, शेष आराजी में भी प्रार्थी अपने हिस्से के अनुसार काबिज है । अप्रार्थी लडाकू किस्म के व्यक्ति हें जो प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजी पर काश्त नहीं करने दे रहे हैं और शामलाती खाते की आराजी अन्य व्यक्ति को बेचान की नियत रखते हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादग्रस्त आराजी का रहन बेचान न करें । राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13. 06.2017 को प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । प्रथम पेशी में ही प्रार्थना पत्र पर अंतिम निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है । रेस्पोडेंटगण खसरा नम्बर 2964 की आराजी पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सी पी सी की पालना नहीं की हे । यदि अन्तरिम स्थगन नहीं देना था तो नोटिस जारी करके दोनों पक्षों को सुन कर निर्णय पारित करना चाहिए । आराजी संयुक्त खाते की है जिसमें अपीलांट का 1/3 हिस्सा निहित है । प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में बनता है । फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की है जिसमें पक्षकारान अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है । 20 साल से मौखिक बंटवारा हो रहा है जिसके अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त है । रेस्पोडेंटगण ने अपने हिस्से की आराजी का बेचान किया है, जो विधिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने रिबटल में कथन किया कि अभी बंटवारा नहीं हुआ है । अजनबी क्रेता को बेचान किया है ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.06.2017 को प्रार्थना पत्र पेश हुआ था और वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनने के बाद प्रार्थना पत्र

को अंतिम रूप से निस्तारित कर नम्बर से कम किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । सी पी सी एवं न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत है । यदि अधीनस्थ न्यायालय एक पक्षीय स्थगन देना उचित नहीं समझते हैं तो प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उभयपक्षीय बहस सुनकर प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु आवश्यक तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों का विश्लेषण कर निर्णय पारित करना चाहिए । इस प्रकार प्रार्थना पत्र की पेशी की तिथि को उसको अंतिम रूप से निर्णीत करना स्वेच्छाचारी निर्णय है, जो न्याय के सिद्धांतों और न्यायालय की गरिमा के विपरीत है । पीठासीन अधिकारी को सावचेत किया जाता है कि भविष्य में न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों एवं सी पी सी की पालना में ही विधिक कार्यवाही करें ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थीगण से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उभयपक्षीय बहस सुनकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.02.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा